Written by कुमार सौवीर
Friday, 18 May 2018 01:00

:□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□-□□□□□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□ □□ :□□□□□ □□□□□ □□ □□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□,□□□□ □□□□□□□□ □□□□□□ :□□□□ □□ □□□□□ □□□□ □□ □□□□□ □□□□□□□□□□□□ □□ □□□□□ □□□□□ □□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□ □□□□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□ :□□□□□ □□□□ -□□ :

□□□□□□ □□□□□□

□□□□□ :इसकेपहले कि घरवाले कुछ समझ पाते, अपनी सौरी (प्रसव-कक्ष) में लेटी वह महिला अचानकतेज आवाज में चीखी। उसने उस नवजात को उसकी टांगों से पकड़ा। बच्ची को उसी तरह उल्टा लटकाये हु। वह घर केआंगन तकचीखती हुई पहुंची। शोर सुन कर घर केलोग आंगन पर आ गये। इसकेपहले कि वहां मौजूद कुछ लोग समझ पाते, धोबीपाट की शैली में महिला ने उस बच्ची को उस जमीन पर जोरों से पटकदिया। कई बार। तब तक, जब तकउस बच्ची लहू-लुआन होकर मौत केहवाले न हो गयी।

घरवाले यह समझ गये कि उस महिला की मानसिकस्थिति बिगड़ गयी है। वह पगला गयी, और अब अपनी इस नवीं बच्ची को खा गयी यह डायन।

मैं हमेशा आजीवन आभारी रहूंगा यूपी हाईकोर्ट में वरिष्ठ न्यायाधीश रह चुकेअपने अग्रज समान शख्स का, जिन्होंने मुझे इस महिला की कहानी से पहचान करायी। इस श्रंखला में मैं इस महिला को हत्यारिन या डायन केतौर पर पुकारने का अपराध सपने में भी नहीं कर सकता। मेरे लि तो यह महिला बाकायदा झांसी वाली बेबस रानी-मां थी। इस झांसी की रानी मां इतहिास में भले कोई प्रभाव नहीं डाल पायी, लेकिन उसने अपने क्रूरतम व्यवहार से अपने आसपास केसमाज पर कजोरदार तमाचा तो जरूर ही मारा। भले ही यह स्वीकारोक्ति उस महिला ने अपने पूरे भोलेपन में और अनजाने में ही कर डाली थी, लेकिन उसने उस भयावह सच का खुलासा कर दिया जिसे सुन कर मेरी आत्मा कांप उठी। भय और आत्मग्लानि से रोंगटे खड़े हो ग कि हम जैसे लोग ही समाज नामकऐसी बेहद संवेदनशील संगठन को अपने निम्नतम व्यवहार केचलते ही उसे क्रूरतम संस्था का रूप देने में नहीं हिचकते हैं।

यह सज्जन हाईकोर्ट केपूर्व जस्टिस रह चुकेहैं। बेहद सहज, सरल, तार्किकऔर माननीय भावों का समावेश है इन में। अपने न्यायिकजीवन में उन्होंने न केवल किसी घटना उसकेपूरे कानूनी परिवेश में ही विवेचन कर फैसला देने की भरसककोशिश की। लेकिन साथ ही साथ, जब कभी ऐसी घटनाओं का जिक्र होता है तो वह अपने फैसलों को दरकिनार कर उस घटना केमानवीय पक्षों को समझने केलि अपने दिल को टटोलते है, और फिर खोजने की कोशिश करते है कि असल पीड़ा क्यों-कब-कैसे-कितनी-कहां है। सहज भी है, कोई व्यक्ति भले ही किसी पद पर हो, कभी न कभी अपने अंतर्मन को तो टटोलता ही है।

जैसा उन्होंने मुझे बताया, अपने कनवजात बच्चे की हत्या केमामले में कमहिला अदालत में पेश की गई थी। यह महिला कोई और नहीं, बल्कि उस उसी नवजात मृत बच्ची की मां थी। कहने की जरूरत नहीं थी कि खचाखच न्याय कक्ष में मौजूद सभी लोग यह जानना चाहते थे कि यह महिला कैसे इतनी क्रूर हो गई जिसने अपने कलेजे केटुकड़े को अपनी छाती का दूध पिलाने, उसकी किलकारियों को सुनने और उसको दुलराने-सहलाने-चूमने केबजाय सीधे उनके मौत केघाट उतारने का फैसला कर लिया।

हत्या-व्यथा। क्रूर मां नहीं, हत्यारे आप खुद हैं

Written by कुमार सौवीर
Friday, 18 May 2018 01:00

बस शुरू हो गई। वकीलों के बहस तर्क-वितर्क शुरू हुए। पूछताछ में महिला ने भी स्वीकार कर लिया कि उसने ही अपनी नवजीत बच्ची को मौत के घाट उतारा है। उसने कुबूल किया कि उस महिला ने उसने जो कुछ भी किया है, वह उसके लिए कुछ भी सजा भुगतने को तैयार है। साफ हो गया कि उस बच्ची की असली हत्यारिन वह महिला ही थी। उसकी इस स्वीकारोक्ति के बाद अब एक वकील का कहना था कि यह हत्यारिन है, इसलिए उसे फांसी दी जानी चाहिए। जबकि दूसरे पक्ष का तर्क था कि उस महिला का यह कृत्य उसके पागलपन के चलते हुआ है, इसलिए उसे पागलखाने में भेजा जाना चाहिए।

कुछ भी हो, कोई भी पक्ष इस बच्ची को उसकी ससुराल या उसके मायके में भेजने को तैयार नहीं था। सभी भयभीत थे कि न जाने कब यह महिला किसी अन्य पर भी इसी तरह का कातिलाना हमला कर दे, कोई भी भरोसा नहीं। **(क्रमश:)**

यह श्रंखलाबद्ध आलेख है। इसके बाकी किस्सों को पढ़ने के लिए कृपया निम्न लिंक पर क्लिक कीजिएगा :-

बेबस मां

2 / 2